अध्याय 7

बैंककारी नकद संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

93. (1) इस अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह 1 जून, 2005 को प्रवृत्त होगा ।

(3) यह ऐसे प्रत्येक कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों को लागू होगा जो इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए हैं।

परिभाषाएं।

94. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अपील अधिकरण" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1961 का 43

(2) "निर्धारण अधिकारी" से वह आय-कर अधिकारी या आय-कर सहायक आयुक्त या आय-कर उपायुक्त या आय-कर संयुक्त आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा, इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या उसे समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(3) "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" से इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

1963 का 54 (4) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

1961 का 43 (5) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (31) में है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का कोई कार्यालय या स्थापन सम्मिलित है ;

(6) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1955 का 23 (7) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक; बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अथवा कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, अभिप्रेत है ;

1959 का 38
1970 का 5
1980 का 40
1934 का 2

(8) "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" से अभिप्रेत है,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक के नकद के निकाले जाने का (किसी भी रीति से) संव्यवहार करना ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अनधिक नकद के संदाय पर किसी बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या किसी अन्य वित्तीय लिखत के क्रय का संव्यवहार करना ; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार से अधिक नकद की, उस बैंक से आवधिक निक्षेप के, परिपक्वता पर या अन्यथा नकदीकरण के संबंध में प्राप्ति का संव्यवहार करना ;

1881 का 26
1934 का 2
1949 का 10
1961 का 43

(9) उन शब्दों और पदों के जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, यावत्शक्य बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर का प्रभार।

95. (1) इस अध्याय के प्रारंभ से ही, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, ऐसे प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, जो दस हजार रुपए से अधिक का हो और 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया हो, प्रत्येक ऐसे कराधेय बैंककारी संव्यवहार के मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैंककारी नकद संव्यवहार कर—

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा जो किसी अनुसूचित बैंक से नकद निकालता है ;

(ii) धारा 94 की के खंड (8) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा जो किसी अनुसूचित बैंक से किसी बैंक ड्राफ्ट या बैंककारी चैक या किसी अन्य वित्तीय लिखत का क्रय करता है ;

(iii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा, जो कालिक निक्षेप के नकदीकरण पर नकद प्राप्त करता है ;

(iv) प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में जो वाहक चैक या ऐसी अन्य लिखत के रूप में दस हजार रुपए से अधिक नकद का निकाला जाना है, ऐसे चैक या लिखत के धारक द्वारा जिसको ऐसा संदाय अनुसूचित बैंक द्वारा नकद में किया जाता है,

संदेय होगा :

परंतु यदि बैंक में किसी खाते में आवधिक निक्षेप की रकम जमा कर दी गई है तो कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर संदेय नहीं होगा।

कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों के मूल्य ।

96. कराधेय बैंककारी संव्यवहार मूल्य निम्नलिखित होगा,—

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में निकाली गई नकद रकम ;

(ii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, जमा की गई नकद रकम ;

(iii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, आवधिक जमा के भुनाने पर प्राप्त नकद रकम ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण और उसकी वसूली ।

97. (1) प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 95 की उपधारा (2) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति है, जो उस बैंक में कराधेय बैंककारी संव्यवहार करता है, धारा 95 में विनिर्दिष्ट दर पर बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैण्डर मास के दौरान संगृहीत बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा उक्त कलैण्डर मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास के पन्द्रहवें दिन तक केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा ।

(3) कोई अनुसूचित बैंक, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

अनुसूचित बैंक द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना ।

98. (1) प्रत्येक ऐसा अनुसूचित बैंक (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, उस अनुसूचित बैंक में किए गए कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या करवाएगा ।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे ।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते हुए उसमें किसी लोप या कथन का पता लगाता है तो वह निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

निर्धारण ।

99. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जिसने धारा 98 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर धारा 98 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी दी गई हो या नहीं), किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिससे उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की है, लिखित में आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों का मूल्य और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम अवधारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा निर्धारिती जिसे उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे रकम का प्रतिदाय किया जाता है तो, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस संबंधित व्यक्ति को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा ।

भूल की परिशुद्धि ।

100. (1) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आदेश में संशोधन किया जाना चाहा गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी,—

(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाई जाती है तो ऐसा संशोधन कर सकेगा ।

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया हो ।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश लिखित में पारित किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज ।

101. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 97 के अधीन यथा अपेक्षित बैंककारी नकद संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति ।

102. कोई निर्धारिती, जो,—

(क) संपूर्ण बैंककारी नकद संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का धारा 97 के अधीन यथा अपेक्षित संग्रहण करने में असफल रहता है ; या

(ख) बैंककारी नकद संव्यवहार कर संगृहीत करने पर धारा 97 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है तो वह,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 97 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर या धारा 101 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने की अतिरिक्त शास्ति के रूप में बैंककारी नकद संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल हुआ था, बराबर राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 97 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 101 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने की अतिरिक्त शास्ति के रूप में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा, तथापि, इस प्रकार इस खंड के अधीन शास्ति उस बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

विहित विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

103. यदि कोई निर्धारिती नियत समय में ऐसी विवरणी, जिसकी धारा 98 की उपधारा (1) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई है, देने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

104. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदेय किसी बैंककारी नकद निकासी संव्यवहार कर और ब्याज के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

कतिपय मामलो में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

105. धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था :

परंतु इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

1961 के अधिनियम 43 के कतिपय उपबंधों को लागू होना।

106. आय-कर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध, जो समय-समय पर प्रवृत्त हों, जहां तक हो सके, बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे आय-कर के संबंध में लागू होते हैं :—

धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 ।

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

107. (1) धारा 99 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण आदेश से या धारा 100 के अधीन किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने के अपने दायित्व से इन्कार करने वाले या इस अध्याय के अधीन ब्याज या शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 तक के उपबंध, यावत्शक्य लागू होंगे ।

अपील अधिकरण को अपील ।

108. (1) आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 107 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 107 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

(5) जहां कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है वहां आय-कर अधिनियम,

1961 का 43

1961 की धारा 252 से धारा 255 तक के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे ।

सत्यापन में मिथ्या कथन, आदि ।

109. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा कथन करेगा या ऐसा लेखा या विवरण परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा ।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना।

110. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 109 के अधीन किसी अपराध के लिए, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

111. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके भीतर विवरणी निर्धारण अधिकारी को या किसी अन्य अभिकरण को परिदत्त की जाएगी या कराई जाएगी और वह प्ररूप तथा रीति जिसमें ऐसी विवरणी धारा 98 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) वह समय जिसके भीतर विवरणी, धारा 98 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ग) वह समय जिसके भीतर धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 107 या धारा 108 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति जिसमें वे सत्यापित की जा सकेंगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है, या विहित किया जा सकेगा ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि, पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि, ऐसे उपांतरण या शून्यकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

112. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।